प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, राजसमन्द (राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर, वर्ष 2022
प्र.ई.रि.सं. 209/2022 दिनांक 27/5/2022

2.–(1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा 7, 7ए एवं 120 बी भा.द.सं.
(2) अधिनियम धारा
(3) अधिनियम धारा.....–.....
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....–.....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....557.....समय.....6:00 PM.
(ब) अपराध के घटने का दिन गुरूवार, दिनांक 26.05.2022, समय 04.10 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 10.05.2022 समय 11.00 पी.एम

4.–सूचना की किस्मः– लिखित/मौखिकः–लिखित

5–घटनास्थलः– इश्काबाद चौराहा के पास, नामदेव कॉफी हाउस, निम्बाहेडा
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– दिशा–दक्षिण–पुर्व बफासला 140 किलोमीटर
(ब) पता..... इश्काबाद चौराहा के पास, नामदेव कॉफी हाउस, निम्बाहेडा जिला चितौडगढ .....बीट संख्या .....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना.....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– श्री राकेश बंजारा
(ब).–पिता का नाम :– श्री श्याम लाल बंजारा
(स).–जन्म तिथि :– उम्र–20 वर्ष
(द).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(य).–पासपोर्ट संख्या.....–.....जारी होने की तिथि.....–.....जारी होने की जगह.....–.
(र).–व्यवसायः–
(ल).–पता :– गुन्दारेल पुलिस थाना कनेरा जिला चितौडगढ

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–.....
1. श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह, जाति–राजपूत, उम्र–34 वर्ष, निवासी–सी–17, रमेश नगर, इश्काबाद चौराहा के पास निम्बाहेडा, पुलिस थाना निम्बाहेडा जिला चितौडगढ हाल जिला प्रबन्धक श्रम विभाग चितौडगढ (संविदाकर्मी)।
2. श्री दलपत सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह, जाति–राजपूत, उम्र–40 वर्ष, निवासी–बेणीपूरिया पुलिस थाना कपासन, जिला चितौडगढ हाल डी–49 बापू नगर, सेती पुलिस थाना सदर चितौडगढ हाल जिला प्रबन्धक श्रम विभाग चितौडगढ (संविदाकर्मी)।
3. श्री नंदलाल पुत्र श्री चान्दमल, जाति–छीपा, उम्र–48 वर्ष, पेशा–होटल व्यवसायी, निवासी–सविता कॉलोनी स्नेह हॉस्पीटल के पीछे, निम्बाहेडा जिला चितौडगढ (दलाल)

8.– परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारणः–कोई नही
9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)
20,000/– रूपये ट्रेप राशि
10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 20,000/–रूपये ट्रेप राशि
11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....–.....
12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

महोदय जी,

वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.05.2022 को एसीबी मुख्यालय जयपुर से व्हाट्सएप्प हैल्प लाईन नम्बर से प्राप्त शिकायत में शिकायतकर्ता से सम्पर्क करने हेतु निर्देश प्राप्त होने पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने हैल्प लाईन से प्राप्त मोबाईल नम्बर 7568419089 पर सम्पर्क किया तो श्री लक्ष्मणसिंह ने कॉल अटेण्ड किया व बताया कि मेरी ग्राम पंचायत कनेरा के मेरे मित्र राकेश बंजारा से सरकारी सहायता दिलवाने के नाम पर श्रम विभाग कार्यालय जिला चितौडगढ के संविदाकर्मीयों द्वारा रिश्वत राशि की मांग की जा रही हैं। अभी मेरा मित्र अपने निजि कार्य से कहीं बाहर गया हुआ हैं जो दो दिन बाद आ जायेगा जिसके आने पर आपसे मिलवाउंगा और आगे की कार्यवाही करवाउंगा। उक्त प्राप्त सूचना/शिकायत का इन्द्राज पूर्व से कार्यालय पर संधारित हैल्पलाईन नम्बर 1064 रजिस्टर में नियमानुसार किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 09.05.2022 को प्राप्त शिकायत में शिकायतकर्ता श्री लक्ष्मणसिंह से उसके मोबाईल नम्बर 7568419089 पर सम्पर्क करने पर लक्ष्मण सिंह द्वारा निम्बाहेडा बस स्टेण्ट पर मिलने के कहने पर मन् अनूपसिंह पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता के निम्बाहेडा पहुंच संपर्क किया गया तो उसने बताया मेरी ग्राम पंचायत कनेरा के निवासी मेरे मित्र श्री राकेश बंजारा से सरकारी सहायता दिलवाने के नाम पर श्रम विभाग कार्यालय जिला चितौडगढ के संविदाकर्मीयों द्वारा रिश्वत राशि की मांग की जा रही हैं। लेकिन अभी इस वक्त मेरा मित्र श्री राकेश बंजारा अपने निजी कार्य से कहीं बाहर गया हुआ है जो अभी तक नहीं आया हैं जो सम्भवतः कल तक आयेगा। जिससे मैं आपसे मिलाकर आगे की कार्यवाही करवांउगा। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा शिकायतकर्ता श्री लक्ष्मणसिह को ब्यूरो कार्यालय चितौडगढ पर कार्यवाही करवाने हेतु कहा तो शिकायतकर्ता ने कहा कि मैं एसीबी चौकी राजसमन्द से ही कार्यवाही करवाना चाहता हुं। तत्पश्चात उक्त श्री लक्ष्मणसिंह को मामले की गोपनीयता रखने की हिदायत दे रूखसत कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के निम्बाहेडा बस स्टेण्ड से रवाना हो दिगर राजकार्य हेतु जयपुर के लिये चितौडगढ से रवाना हुआ तथा जाप्ता को जाय तैनाती ब्यूरो चौकी राजसमन्द के लिए रवाना किया तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक ने कार्यालय के कानि0 श्री किशनाराम नम्बर 404 को जरिये दूरभाष व्हाट्सएप्प हैल्पलाईन नम्बर से प्राप्त शिकायतकर्ता श्री लक्ष्मणसिंह की शिकायत से अवगत कराया एवं शिकायतकर्ता श्री लक्ष्मणसिंह के मोबाईल नम्बर कानि0 किशनाराम नम्बर 404 को देकर अग्रिम कार्यवाही के कम में मामले की गोपनीयता बरतते हुए कानि0 किशनाराम नम्बर 404 को कार्यालय के मालखाना से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड के प्राप्त कर उक्त श्री लक्ष्मणसिंह के मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर उसके बताये अनुसार निश्चित स्थान पर पहुंच उसके मित्र श्री राकेश बंजारा की समस्या/शिकायत सुन आवश्यक प्रार्थना पत्र प्राप्त करने तथा मांग सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु निर्देश देकर समस्त कार्यवाही से मन् पुलिस उप अधीक्षक को जरिए दूरभाष हालात से अवगत कराने की हिदायत दी।

तत्पश्चात दिनांक 10.05.2022 को मन् पुलिस उप अधीक्षक जयपुर गया हुआ कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा आज शिकायतकर्ता श्री लक्ष्मणसिंह से मन् पुलिस उप अधीक्षक की जरिए दूरभाष हुई वार्तानुसार शिकायतकर्ता ने बताया कि मेरा मित्र राकेश बंजारा गांव आ गया हैं व उससे श्रम विभाग कार्यालय जिला चितौडगढ के संविदाकर्मी रिश्वत मांग रहे हैं वो आज उससे रिश्वत मांगने की बात करेंगे। इसलिए आप इसका सत्यापन करावें। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने उसे अपने स्वयं के जयपुर होना बता तथा अन्य कोई विकल्प नहीं होने की वजह से कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो राजसमन्द में तैनात कानि0 श्री किशनाराम नम्बर 404 को उक्त शिकायत के सम्बन्ध में पूर्व में अवगत कराया जा चुका था जिसे इमरोजा पुनः शिकायतकर्ता से हुई वार्ता के सम्बन्ध में बताया तथा ब्यूरो कार्यालय के मालखाना से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड के प्राप्त कर शिकायतकर्ता के बताये अनुसार निश्चित स्थान पर पहुंच परिवादी श्री राकेश बंजारा से सम्पर्क कर नियमानुसार कार्यवाही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि के बारे में समझाईश कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही कर पुनः मन् पुलिस उप अधीक्षक को सूचित करने हेतु निर्देशित किया था जिस पर कानि0 किशनाराम ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को जरिए दूरभाष बताया कि मैं इमरोजा श्रीमान के निर्देशानुसार एसीबी कार्यालय राजसमन्द से रवाना हो चितौडगढ पहुंच परिवादी के मित्र श्री लक्ष्मणसिंह से सम्पर्क कर परिवादी श्री राकेश बंजारा से कानूनी कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर, परिवादी श्री राकेश बंजारा व उसके मित्र श्री लक्ष्मणसिंह को मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के श्रम विभाग कार्यालय चितौडगढ में भेजकर नियमानुसार मांग सत्यापन की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में हालात से मन् पुलिस उप अधीक्षक को अवगत कराया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि0 किशनाराम को निर्देश दिये गये कि कार्यालय में उपस्थित होकर समस्त हालात विस्तार से अवगत करावे।

तत्पश्चात दिनांक 10.05.2022 समय 11.00 पी.एम. पर कानि0 किशनाराम नम्बर 404 ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को कार्यालय कक्ष में आकर परिवादी श्री राकेश बंजारा द्वारा प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सिपूर्द कर बताया कि "श्रीमान के निर्देशानुसार मैं कार्यालय के मालखाना से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड प्राप्त कर समय 06.00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द से रवाना हो समय करीब 10.30 ए.एम. पर जिला कलक्टर कार्यालय चितौडगढ के पास पहुंच कर शिकायतकर्ता श्री लक्ष्मणसिंह से जरिए दूरभाष सम्पर्क किया तो श्री लक्ष्मणसिंह ने बताया कि मैं, और मेरा मित्र राकेश बंजारा करीब दो घण्टे बाद आपसे श्रम विभाग कार्यालय चितौडगढ के पास ही किसी सुरक्षित स्थान पर मिलेंगे। इसके पश्चात समय करीब 12. 30 पीएम पर शिकायतकर्ता श्री लक्ष्मणसिंह परिवादी श्री राकेश बंजारा के साथ श्रम विभाग कार्यालय चितौडगढ के पास ही एक सुरक्षित स्थान पर मिले। परिवादी ने कानूनी कार्यवाही हेतु एक हस्तलिखित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया और बताया कि संदिग्ध कर्मचारी मुझसे रिश्वत राशि की मांग नहीं करेगा। संदिग्ध कर्मचारी मेरे मित्र श्री लक्ष्मणसिंह से रिश्वत की मांग करेगा। इस पर परिवादी श्री राकेश बंजारा के मित्र श्री लक्ष्मणसिह ने भी उक्त कार्यवाही में अपने मित्र राकेश बंजारा के साथ उपस्थित रहने व मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने पर सहमति प्रकट की। इस पर परिवादी के मित्र श्री लक्ष्मणसिंह को डिजीटल वाईस रिकार्डर के संचालन की विधि के बारे में समझाईश कर समय करीब 01.35 पीएम पर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी के मित्र श्री लक्ष्मणसिंह को सुपुर्द कर परिवादी व उसके मित्र लक्ष्मणसिह को अपनी निजि मोटरसाईकिल से श्रम विभाग कार्यालय चितौडगढ के लिए रवाना कर मैं उनके पिछे–पिछे चलते हुए श्रम विभाग कार्यालय चितौडगढ के पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी व उसके मित्र राकेश बंजारा के आने के इन्तजार में मुकिम रहा। इसके पश्चात समय करीब 02.23 पी.एम पर परिवादी राकेश बंजारा व उसका मित्र लक्ष्मणसिंह मेरे पास मुकिम स्थल पर उपस्थित आये और परिवादी के मित्र लक्ष्मणसिंह ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैंने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसके पश्चात परिवादी के मित्र श्री लक्ष्मणसिंह ने बताया कि "मैं और मेरा मित्र राकेश बंजारा हम दोनों यहां से रवाना हो श्रम विभाग कार्यालय चितौडगढ में पहुंच संदिग्ध संविदाकर्मियों कुलदीप सिंह और दलपत सिंह से मिले तो संदिग्ध संविदाकर्मी कुलदीपसिंह द्वारा मेरे मित्र राकेश बंजारा के पिता की मृत्यु पर राज्य सरकार की तरफ से प्राप्त होने वाली सहायता राशि दिलवाने की एवज मे रिश्वत राशि के बदले में अपने घर पर AC (Air conditioner) लगाने की मांग की। मैंने AC की अनुमानित कीमत के बारे में आरोपी कुलदीपसिंह से पूछा तो उसने AC की अनुमानित कीमत 35,000 हजार रूपये होना बताया। इस पर मैंने 35,000 रूपये नहीं दे सकने व फाईनली AC (Air conditioner) हेतु 25,000 रूपये देने की बात कहीं तो अन्य संदिग्ध आरोपी श्री दलपतसिंह द्वारा मुझे AC घर पर लगाते वक्त पांच–सात हजार रूपये उपर नीचे नहीं दे सकने की बात कहकर संदिग्ध कुलदीपसिंह द्वारा की गई मांग में अपना समर्थन दिया। इसके पश्चात मेरे मित्र राकेश बंजारा को वहीं छोडकर मैं व दोनों संदिग्ध आरोपी कुलदीपसिंह व दलपतसिंह श्रम विभाग कार्यालय चितौडगढ से थोडी दूरी पर स्थित AC की दुकान पर गये। इसके बाद वहां से रवाना हो वापस श्रम विभाग कार्यालय चितौडगढ में उपस्थित आये। संदिग्ध आरोपी कुलदीपसिंह द्वारा अन्त में 25,000 रूपये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति प्रकट की। इसके बाद मैं व मेरा मित्र श्रम विभाग कार्यालय चितौडगढ से रवाना होकर आपके पास आये हैं"। उक्त समस्त हालात कानि. किशनाराम नं. 404 द्वारा बताने के पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि हुई। डिजिटल वाईस रिकार्डर में हुई वार्तानुसार आरोपी द्वारा परिवादी के मित्र श्री लक्ष्मणसिंह से घर पर AC (Air conditioner) लगवाने हेतु 25,000 रूपये मांगने की पुष्टि हुई। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय मे सुरक्षित रखा गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो परिवादी श्री राकेश बंजारा द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि "मैं प्रार्थी गांव गुन्दारेल जिला चितौडगढ का रहने वाला हुं मेरे पिताजी श्रम विभाग चितौडगढ में पंजीकृत थे। जिनकी मृत्यु हो गई मेरे पिताजी श्रम विभाग में पंजीकृत होने से उनको दो लाख रूपये की सरकार द्वारा सहायता राशि मिलती हैं। जो पैसे लेने के लिए आवेदन मेरे द्वारा कर दिया गया है और श्रम विभाग के अधिकारी दलपतसिंह द्वारा मेरे घर पर आकर मौका मायना कर लिया गया हैं। मगर उसके बावजुद भी सरकार द्वारा मिलने वाली राशि (सहायता) दलपतसिंह व कूलदीपसिंह नहीं दे रहे और मुझे बार–बार बूलाकर पैसों की मांग कर रहे है। दलपतसिंह मुझसे पहले ही काम करने का दबाव बनाकर दस हजार रूपये प्राप्त कर चुका है फिर भी दलपत सिंह मेरे से पचीस हजार रूपये कि और मांग कर रहा हैं और दलपतसिंह व कूलदीपसिंह मेरे पिता को सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता राशि दो लाख रूपये मूझे दिलवाने की ऐवज में पंचीस हजार की मांग कर रहे है जो मैं उन्हें नहीं देना चाहता हूं मैं श्रम विभाग के DM दलपत सिह जो कि संविदाकर्मि है जिसको मैं रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरी श्रम विभाग के DM दलपत सिह से कोई आपसी रंजिश नहीं है और नही कोई लेनदेन बकाया है अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि कानूनी कार्यवाही करावें।" उपरोक्त लिखित रिपोर्ट से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने से रिश्वत

राशि की मांग का सत्यापन आज दिनांक 10.05.2022 को ही कानि. किशनाराम नं. 404 द्वारा कराया गया। जिसमें रिश्वत राशि मांग की पुष्टि हुई।

तत्पश्चात दिनांक 19.05.2022 को मन् पुलिस उप अधीक्षक दिगर राजकार्य से फारिक हो एसीबी चौकी राजसमन्द पर उपस्थित आया तथा दर्ज रहे कि आज दिनांक 19.05.2022 को परिवादी श्री राकेश बंजारा के मित्र श्री लक्ष्मणसिंह ने जरिए दूरभाष मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैंने संदिग्ध आरोपी की उपस्थिति के सम्बन्ध में किसी माध्यम से सूचना प्राप्त की तो पता चला कि संदिग्ध आरोपी कल दिनांक 20.05.2022 को अपने कार्यालय में उपस्थित मिलेंगा। जिससे उसके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा सकती हैं। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी के मित्र श्री लक्ष्मणसिंह को संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरे मित्र श्री राकेश बंजारा ने संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर ली हैं। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी के मित्र श्री लक्ष्मणसिंह को परिवादी श्री राकेश बंजारा के साथ मय संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के साथ दिनांक 20.05.2022 को ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द उपस्थित होने हेतु कहा। इस पर परिवादी के मित्र श्री लक्ष्मणसिंह ने कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थता बताई और मन पुलिस उप अधीक्षक को अपनी टीम के साथ चितौडगढ उपस्थित होने पर चितौडगढ कस्बे में ही मिल जाना बताया। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी के मित्र श्री लक्ष्मणसिंह को परिवादी श्री राकेश बंजारा के साथ मय संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि के चितौडगढ कस्बे में किसी सुरक्षित स्थान पर मिलने की हिदायत दी और इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा हालात उच्चाधिकारीयों को निवेदन कर दौराने ट्रेप कार्यवाही एसीबी चितौडगढ की टीम को मौके पर उपस्थित रखने एवं पुलिस इमदाद हेतु निवेदन किया गया तथा स्वतंत्र गवाहान एवं सरकारी/अनुबंधित वाहन की आवश्यकता होने से अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत राजसमन्द, भूमि विकास बैंक राजसमन्द एवं पंचायत समिति राजसमन्द से जरिए दुरभाष वार्ता कर गवाहान/वाहन बाबत् संबंधित को तहरीर जारी कर तलब किये गये।

तत्पश्चात दिनांक 20.05.2022 को तलबशुदा दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये। जिनको मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो एक ने अपना नाम श्री संदीप तम्बोली पुत्र श्री रमेश चन्द्र तम्बोली उम्र 41 साल निवासी गणेश टेकरी वल्लभपुरा के उपर पुलिस थाना व तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखण्ड नाथद्वारा जिला राजसमन्द एवं दूसरे ने श्री राजकुमार सालवी पुत्र श्री डालचन्द जी सालवी उम्र 49 साल निवासी कोठारिया, पुलिस थाना व तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड राजसमन्द, जिला राजसमन्द होना बताया। उक्त दोनों गवाहान को कार्यालय में सुरक्षित स्थान पर बैठाया गया तथा कुछ समय बाद पंचायत समिति राजसमन्द का सरकारी वाहन बोलेरो नं. आर0जे0–30–यू0ए0–1291 मय चालक के उपस्थित कार्यालय आया तथा वाहन चालक ने अपना नाम श्री किशनलाल गायरी पुत्र श्री देवीलाल गायरी उम्र 40 वर्ष निवासी गाडरियावास राजनगर जिला राजसमन्द हाल अनुबंधित वाहन चालक, पंचायत समिति राजसमन्द तथा भूमि विकास बैंक राजसमन्द का अनुबंधित वाहन बोलेरो नं. आर0जे0–30–टी0ए0–2191 मय चालक के हाजिर कार्यालय आया तथा वाहन चालक ने अपना नाम श्री रतनलाल पुत्र श्री अम्बालाल जी गाडरी उम्र 29 साल निवासी मेंघटिया थाना कांकरोली जिला राजसमन्द हाल अनुबंधित वाहन चालक भूमि विकास बैंक राजसमन्द होना बताया। उक्त दोनों वाहनों को कार्यालय परिसर में सुरक्षित खडा करवाया जाकर सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आर0जे0–30 –यू0ए0–1291 के चालक किशनलाल गायरी से उक्त वाहन की चाबी प्राप्त कर रवाना किया गया। उसके पश्चात परिवादी के मित्र श्री लक्ष्मणसिंह ने जरिए दूरभाष मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि संदिग्ध आरोपी अपने कार्यालय में उपस्थित आया हैं या नहीं आया हैं इस सम्बन्ध में मैं अपने सूत्रों से पता करके आपको बताता हुं। जिस पर कुछ समय के बाद परिवादी के मित्र श्री लक्ष्मणसिंह नें जरिए दूरभाष मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैंने अपने सूत्रों से पता किया तो ज्ञात आया कि आज संदिग्ध संविदाकर्मी अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं आये हैं। आज संदिग्ध संविदाकर्मीयों के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाना सम्भव नहीं हैं। इसके पश्चात अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाना सम्भव नहीं होने से कार्यालय हाजा पर उपस्थित हर दोनों स्वतंत्र गवाहान को मामले में पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने व आवश्यकता पडने पर कार्यालय हाजा में उपस्थित होने की हिदायत दे रूखसत दी गई। इसके पश्चात कार्यालय परिसर में खडे अनुबंधित वाहन बोलेरो नम्बर आर0जे0–30–टी0ए0–2191 मय चालक के एवं भूमि विकास बैंक के अनुबंधित वाहन बोलेरो नं. आर0जे0–30–यू0ए0–1291 के चालक श्री किशनलाल गायरी को तलब कर उक्त वाहन की चाबी सुपुर्द कर मय वाहन के मामले में पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने व आवश्यकता पडने पर कार्यालय हाजा द्वारा सूचित किये जाने पर तुरन्त कार्यालय हाजा में उपस्थित होने की हिदायत दे रूखसत दी गई।

के समक्ष चालु कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुनाया गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि होना पायी गयी परन्तु उक्त मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मुर्तिब करने में समय का अभाव होने से उक्त फर्द अकब से मुर्तिब की जायेगी। तत्पश्चात उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री राकेश बंजारा पुत्र श्री श्यामलाल बंजारा उम्र 20 वर्ष, निवासी–गून्दारेल, पुलिस थाना–कनेरा, तहसिल–निम्बाहेडा, जिला चितोडगढ को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री राकेश बंजारा ने रिश्वत के रूप में 25000 रूपये की व्यवस्था करने में असमर्थता व्यक्त कर अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/– रूपये प्रस्तुत किये। जिनके नोटों के नम्बर नोट किये जाकर उक्त समस्त नोटों पर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगाने हेतु वाहन सं. आर0जे0–30– यू0ए0–1291 की बीच की सीट पर अखबार बिछा कर ब्यूरो जाप्ता के कानि0 श्री मनोज कुमार नं. 23 को उसके पास सुरक्षित रखी हुई फिनोफ्थेलीन पाउडर की शिशी में से फिनोफ्थेलीन पाउडर निकाल कर परिवादी श्री राकेश बंजारा द्वारा पेश उपरोक्त समस्त नोटो के दोनों ओर उक्त फिनोफ्थेलीन पाउडर लगाने हेतु निर्देशित करने पर कानि0 मनोज कुमार नं. 23 द्वारा उक्त समस्त नोटो पर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगाया गया तथा परिवादी श्री राकेश बंजारा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री संदीप तम्बोली, कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उक्त फिनोफ्थेलीन पाउडर लगे समस्त नोटो को परिवादी श्री राकेश बंजारा के शरीर पर पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शै: न छोडते हुए श्री मनोज कुमार कानि. 23 से रखवाये गये। तत्पश्चात् एक साफ कॉच के गिलास में साथ लाये पानी के केम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर दोनो ही स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री राकेश बंजारा को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री मनोज कुमार कानि. नं. 23 के हाथ की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी श्री राकेश बंजारा तथा स्वतंत्र गवाहान श्री संदीप तंबोली व श्री राजकुमार सालवी के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत मे उक्त राशि को मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री मनोज कुमार कानि. नं. 23 से पास ही मोजुद नाली में फिकवाया गया तथा जिस अखबार पर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगाया गया उसको जला कर नष्ट किया गया। फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को श्री मनोज कुमार कानि. नं. 23 को अपने पास ही सुरक्षित रखने की हिदायत कर एसीबी कार्यालय राजसमन्द के लिए रवाना किया तथा परिवादी को यह हिदायत भी दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवें तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे तथा रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे और रिश्वती राशि देने के बाद मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर अथवा अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा करने हेतु निर्देशित कर यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी को अपने मोबाईल नम्बर सेव कराये तथा ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियों, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को भी साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर सरकारी वाहन बोलेरो में सुरक्षित रखवाये जाकर नई कांच की शिशियों, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री राकेश बंजारा को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर सिपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन–देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। तत्पश्चात ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये जाकर उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी पृथक से मुर्तिब की गई।

तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक ने ब्यूरो जाप्ता के हैड कानि0 श्री गोविन्द नारायण नम्बर 117 मय सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आर.जे. 30 यू.ए. 1291 मय चालक श्री किशनलाल को जिंक कॉलोनी रोड डगला का खेडा के पास स्थित हनुमान मन्दिर के बाहर ही रूकने हेतु निर्देश दिये तथा परिवादी श्री राकेश बंजारा को मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के अपने साथी श्री दशरथदान के साथ अपनी निजि मोटर साईकिल से एवं कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 व कानि0 किशनाराम नम्बर 404 को एक अन्य मोटरसाईकिल से श्रम विभाग कार्यालय चितौडगढ की तरफ आगे–आगे रवाना कर मन् अनूप सिंह पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो ही स्वतंत्र गवाहान श्री

संदीप तम्बोली, श्री राजकुमार सालवी, कानि0 श्री प्रदीपसिंह नम्बर 162 मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय अनुबंधित वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 30 टी.ए. 2191 मय चालक श्री रतनलाल के जिंक कॉलोनी रोड डगला का खेडा हनुमान मंदिर के बाहर से समय 12.45 पीएम पर रवाना हो श्रम विभाग कार्यालय चितौडगढ से थोडा पहले रूककर गाडी को साईड में खडा कर मय हमराहियान के परिवादी के निर्धारित इशारे के इन्तजार में मुकिम रहे। इस दौरान ही परिवादी के मित्र श्री दशरथदान ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को जरिए दूरभाष बताया कि आरोपी कुलदीपसिंह ने श्रम विभाग कार्यालय से बाहर आकर मेरे मित्र राकेश बंजारा को बताया कि वह रिश्वत राशि अपने हाथों से प्राप्त नहीं कर रिश्वत राशि निम्बाहेडा स्थित नामदेव चाय की होटल के मालिक काका को दे देने के लिये बताया व उनसे प्राप्त करना बताया। इसके पश्चात कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 व कानि0 किशनाराम नम्बर 404 मोटरसाईकिल से एवं परिवादी श्री राकेश बंजारा मय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर के अपने मित्र दशरथदान के साथ अपनी निजी मोटर साईकिल से मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास मुकिम स्थल पर उपस्थित आये और परिवादी ने डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री राकेश बंजारा ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि संदिग्ध आरोपी श्री कुलदीपसिंह ने मेरे पास आकर मुझे कहा कि मैं रिश्वत राशि स्वयं नहीं लुंगा। आप ये पैसे निम्बाहेडा स्थित नामदेव चाय की होटल के मालिक काका को देना मैं उनसे बाद में ले लुंगा। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री संदीप तम्बोली, राजकुमार सालवी मय जाप्ता कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262, कानि0 प्रदीपसिंह नम्बर 162 मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय अनुबंधित वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 30 टीए 2191 मय चालक श्री रतनलाल के तथा परिवादी श्री राकेश बंजारा को अपने मित्र श्री दशरथदान के साथ अपनी निजी मोटरसाईकिल से निम्बाहेडा की तरफ समय करीब 02.20 पीएम पर आगे–आगे रवाना कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के मुकिम स्थल से रवाना हो समय करीब 03.00 पीएम पर निम्बाहेडा स्थित एल.के. सिंघानिया स्कूल के सामने पहुंच वाहन को साईड में खडा कर परिवादी व उसके मित्र के आने का इंतजार किया। थोडी देर बाद परिवादी श्री राकेश बंजारा व उसका मित्र दशरथदान अपनी निजि मोटरसाईकिल से मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास उपस्थित आये। इसके पश्चात परिवादी श्री राकेश बंजारा को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईस कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी श्री राकेश बंजारा को उसके मित्र दशरथदान के साथ अपनी निजि मोटरसाईकिल से समय करीब 03.35 पीएम पर निम्बाहेडा स्थित नामदेव चाय की होटल की तरफ रवाना कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पीछे–पीछे रवाना हो नामदेव चाय की होटल से थोडा पहले रूककर गाडी को साईड में खडा कर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम रहा। इसके पश्चात समय 04.10 पीएम पर परिवादी श्री राकेश बंजारा ने नामदेव चाय की होटल के बाहर आकर अपने दोनों हाथ सिर पर फेरकर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के तेज–तेज कदमों से चलकर नामदेव चाय की होटल के बाहर पहुंचा, जहां परिवादी श्री राकेश बंजारा अपने मित्र दशरथदान के साथ उपस्थित मिला। परिवादी ने डिजिटल वाइस रिकॉर्डर मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने नामदेव चाय की होटल में खडे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यहीं वो नामदेव चाय की होटल वाले काका हैं जिनको मैने कुलदीपसिंह के कहे अनुसार अभी अभी 20,000 रूपये रिश्वत राशि दी हैं। जिन्होने रिश्वत राशि अपने हाथ से लेकर होटल पर गेस–चूल्हे के पास सीमेण्ट की टंकी पर रखी बडी फर्शी जिस पर एक लौहे की ट्रे पडी हुई हैं जिसके नीचे रखे। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर अपने आने का मन्तव्य बताते हुए उस व्यक्ति से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री नन्दलाल उर्फ काका पुत्र श्री चान्दमल जाति छीपा उम्र 48 साल पेशा होटल व्यवसायी निवासी सविता कॉलोनी स्नेह हॉस्पीटल के पीछे निम्बाहेडा जिला चितौडगढ होना बताया। इसके उपरान्त आरोपी श्री नन्दलाल से परिवादी श्री राकेश बंजारा से रिश्वत राशि ग्रहण करने के सम्बन्ध में पूछा तो वह कुछ नहीं बोला व चुप रहा तथा कुछ समय बाद बताया कि कुलदीपसिंह राठोड ने मुझे आज फोन करके बताया कि किसी बन्दे के साथ कुछ रूपये भिजवा रहा हुं जो आप अपने पास रखना मैं शाम को आते वक्त आपसे यह रूपये प्राप्त कर लुंगा। मैंने यह राशि श्री कुलदीपसिंह राठौड के कहने पर ही प्राप्त की हैं। मेरे और कुलदीपसिंह राठौड के बीच आपसी लेन–देन बकाया हैं। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने श्री नन्दलाल से कुलदीपसिंह व उसके मध्य आपसी बाकियात के सम्बन्ध में कोई लिखित में रिकॉर्ड उपलब्ध हो तो पेश करने हेतु कहा तो श्री नन्दलाल ने अपने व कुलदीपसिंह के मध्य बाकियात के सम्बन्ध में लिखित में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना बताया और अपनी नजरे नीचे की तरफ झूकाकर निरूत्तर हो चुप रहा। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री नन्दलाल को कुलदीपसिंह से फोन पर बात कर रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने हेतु कहा तो आरोपी नन्दलाल ने मन् पुलिस उप

अधीक्षक को बताया कि श्री कुलदीपसिंह ने मुझसे उक्त राशि प्राप्त करने के बाद फोन पर बात करने हेतु मना किया हैं इस हेतु मैं अभी श्री कुलदीपसिंह से फोन पर बात नहीं कर सकता। उक्त रिश्वत राशि 20,000 रूपये के सम्बन्ध में दलपतसिंह व कुलदीपसिंह से विस्तृत पूछताछ करनी हैं इस हेतु मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा हैड कानि0 श्री गोविन्द नारायण नम्बर 117 को मय जाप्ता मय वाहन के पुलिस निरीक्षक श्री दयालाल चौहान से सम्पर्क कर उनके साथ रहने एवं पुलिस निरीक्षक श्री दयालाल चौहान को श्री कुलदीपसिंह व श्री दलपतसिंह को श्रम विभाग कार्यालय चितौडगढ से डिटेन कर भ्रनिब्यूरो कार्यालय चितौडगढ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री नन्दलाल को परिवादी श्री राकेश बंजारा से रिश्वत राशि प्राप्त कर कहा रखी हैं इस सम्बन्ध में पूछा तो श्री नन्दलाल ने बताया कि मैंने श्री कुलदीपसिंह के बताये अनुसार श्री राकेश बंजारा से कुछ रूपये अपने हाथ से लेकर मेरी होटल पर गेस–चूल्हे के पास सीमेण्ट की टंकी पर रखी बडी फर्शी जिस पर एक लोहे की ट्रे पडी हुई हैं जिसके नीचे रखे जो अभी भी वहीं पर पडे हैं। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री संदीप तम्बोली से उक्त लौहे की ट्रे को हटवाया गया तो उक्त लौहे की ट्रे के नीचे 500–500 रूपये के कुछ नोट पडे हुए मिले जिन्हे स्वतंत्र गवाह श्री संदीप तम्बोली के पास सुरक्षित रखवाये गये। इसके पश्चात श्री प्रदीपसिंह कानि नम्बर 162 से गाडी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर हाथ धुलवाई की कार्यवाही हेतु कानि0 श्री प्रदीपसिंह से ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलासों में अलग–अलग साफ पानी भरकर मंगवाया तथा उक्त दोनों गिलासों में अलग–अलग एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया। उक्त घोल को दोनों गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में श्री नन्दलाल के दाहिने हाथ की अंगुलियां एवं अंगूठा को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो मटमेला होना स्वीकार किया जिसे दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवा मार्क आर0 एच0–1 व आर0 एच0–2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में श्री नन्दलाल के बाये हाथ की अंगुलियां एवं अंगूठा को धुलवाया गया तो बाये हाथ के धौवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो अलग–अलग साफ़ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क एल0 एच0–1 व एल0 एच0–2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके उपरान्त रिश्वत राशि बरामदी स्थल आरोपी की चाय की होटल पर गेस–चूल्हे के पास सीमेण्ट की टंकी पर रखी बडी फर्शी जिस पर एक लौहे की ट्रे पडी हुई हैं जिसके नीचे से रिश्वत राशि बरामद हुई। उक्त बरामदगी स्थल का धोवण लिया जाना आवश्यक होने से कानि0 श्री प्रदीपसिंह नं. 162 से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया तथा उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को दोनों गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन होना बताया। उक्त रिश्वत राशि बरामदगी स्थल पर रूई के फुवे को रगडकर उक्त गिलास के रंगहीन घोल में डुबाया गया तो घोल का रंग मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो मटमेला होना स्वीकार किया जिसे दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क एफ–01 व एफ–02 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। रूई के फुवे को जलाकर नष्ट किया गया तथा समय 04.45 पी.एम. पर मौके पर ही उपस्थित परिवादी श्री राकेश बंजारा व आरोपी श्री नन्दलाल की निशादेही से स्वतंत्र गवाहान श्री संदीप तम्बोली व राजकुमार सालवी के समक्ष नक्शा मौका घटनास्थल निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय करीब 04.55 पी.एम. पर परिवादी श्री राकेश बंजारा को अपने मित्र श्री दशरथदान के साथ अपनी निजी मोटरसाईकिल से भ्रनिब्यूरो चितौडगढ कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर मौके से रवाना कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री राजकुमार सालवी, श्री संदीप तम्बोली मय रिश्वती राशि, मय जाप्ता कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 मय आरोपी श्री नन्दलाल मय कानि0 प्रदीपसिंह नम्बर 162 मय मालखाना आर्टिकल्स मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर मय अनुबंधित वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 30 टीए 2191 मय चालक श्री रतनलाल के रवाना हो समय करीब 05.45 पीएम पर भ्रनिब्यूरो कार्यालय चितौडगढ पर उपस्थित आया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री संदीप तम्बोली के पास सुरक्षित रखी हुई रिश्वती राशि को दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 40 नोट कुल राशि 20,000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से करवाई गई तो नोटो के नम्बर हुबहु पाये गये। उक्त नोटों को एक सफेद कागज लगाकर शील्डचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसके पश्चात पुलिस निरीक्षक श्री दयालाल चौहान् मय ज़ाप्ता मय डिटेनशुदा श्री दलपतसिंह व कुलदीपसिंह के साथ भ्र.नि.ब्यूरो कार्यालय चितौड़गढ पर उपस्थित आये और डिटेनशुदा श्री दलपतसिंह व कुलदीपसिंह को मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया। इसके पश्चात आरोपी श्री कुलदीपसिह व दलपतसिह से परिवादी श्री

राकेश बंजारा के समक्ष रिश्वत राशि 20,000 रूपये के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी श्री कुलदीपसिंह ने कहा कि मैने श्री राकेश बंजारा से कोई रिश्वत राशि की मांग नही की हैं। आरोपी श्री दलपतसिह ने भी परिवादी राकेश बंजारा से रिश्वत राशि की मांग नही करने का कहा। इस पर उपस्थित परिवादी श्री राकेश बंजारा ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि श्री कुलदीपसिंह व श्री दलपतसिंह झूठ बोल रहे हैं। मैं दिनांक 10.05.2022 को मेरे मित्र श्री लक्ष्मणसिंह के साथ श्रम विभाग कार्यालय चितौडगढ में गया था जहां पर श्री दलपतसिंह व श्री कुलदीपसिंह से मिला। श्री कुलदीपसिंह ने मेरे पिता की मृत्यु के उपरान्त सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि 2,00,000 रूपये दिलवाने की एवज में अपने घर पर AC (Air conditioner) लगाने की मांग की। मेरे मित्र लक्ष्मणसिह ने AC की अनुमानित कीमत के बारे में आरोपी कुलदीपसिंह से पूछा तो उसने AC की अनुमानित कीमत 35,000 हजार रूपये होना बताया। इस मेरे मित्र लक्ष्मणसिंह ने 35,000 रूपये नहीं दे सकने व फाईनली AC (Air conditioner) हेतु 25,000 रूपये देने की बात कहीं तो अन्य संदिग्ध आरोपी श्री दलपतसिंह द्वारा मुझे AC घर पर लगाते वक्त पांच–सात हजार रूपये उपर नीचे नहीं दे सकने की बात कहकर संदिग्ध कुलदीपसिंह द्वारा की गई मांग में अपना समर्थन दिया। मेरे साथी श्री लक्ष्मणसिंह द्वारा पूर्व में मेरे द्वारा श्री दलपतसिंह को दी गई रिश्वत राशि 10,000 रूपये पुनः लौटाने की बात कही तो आरोपी कुलदीपसिंह द्वारा उक्त राशि वापस लौटाने की बात कहकर मेरे काम को रूकवाने की धमकी दी। आरोपी कुलदीपसिंह द्वारा अन्त में 25,000 रूपये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति प्रकट की। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने श्री कुलदीपसिह से रिश्वत राशि 20,000 रूपये प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा तो उसने उक्त राशि निम्बाहेडा स्थित नामदेव चाय की होटल पर काका उर्फ नन्दलाल को देने को कहा। श्री कुलदीपसिंह के कहे अनुसार मैंने उक्त रिश्वत राशि 20,000 रूपये निम्बाहेडा स्थित नामदेव चाय की होटल पर काका उर्फ नन्दलाल को दिये। इसके पश्चात डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.05.2022 को आरोपीगण श्री कुलदीपसिंह व श्री दलपतसिह के समक्ष चलाकर सुनाया गया तो आरोपीगण द्वारा अपनी–अपनी आवाज होना बताया एवं राकेश बंजारा व श्री लक्ष्मणसिंह से वार्तालाप होना ताईद किया। दलपत सिंह व कुलदीप सिंह द्वारा मांग सत्यापन वार्ता को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में सुनने के पश्चात निरूत्तर होकर चुप हो गये तथा कुछ भी कहने से इन्कार किया। इसके पश्चात पुलिस निरीक्षक श्री दयालाल चौहान ने आरोपीगण श्री दलपतसिंह व श्री कुलदीपसिंह का सेवा विवरण, परिवादी श्री राकेश बंजारा द्वारा अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि हेतु किया गया आवेदन पत्र, शपथ पत्र, परिवादी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, घोषणा पत्र व बैंक ऑफ बडोदा की पासबुक की प्रमाणित प्रतिलिपि मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष पेश की जिसके पृथम व अन्तीम पेज पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही किया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा जरिए मोबाईल हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। इसके पश्चात डिजीटल वॉइस रिकार्डर गवाहान के समक्ष चालू कर सुना गया तो रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता होना पाया गया। जिसकी फर्द ट्रांसकिप्ट रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता तथा सीडी पृथक से मुर्तिब की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी पृथक से मुर्तिब कर दोनों स्वतंत्र गवाहान व सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात समय 06.50 पी.एम. पर परिवादी का मित्र श्री लक्ष्मण सिंह हस्ब तलबीदा ब्यूरो कार्यालय चितौडगढ उपस्थित आया जिसकी उपस्थिति में सुरक्षित रखे हुये डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री राकेश बंजारा तथा आरोपीगणों श्री कुलदीप सिंह (संविदाकर्मी) व श्री दलपत सिंह (संविदाकर्मी) हाल तैनात श्रम विभाग कार्यालय जिला चितौडगढ के मध्य दिनांक 10.05.2022 को हुई वार्तालाप, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी, जिसे परिवादी श्री राकेश बंजारा व उसके मित्र श्री लक्ष्मण सिंह एवं स्वतंत्र गवाहान श्री संदीप तंबोली तथा श्री राजकुमार सालवी के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री किशनाराम कानि. नं. 404 द्वारा उपरोक्त मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्किप्ट मूर्तिब की गई तथा श्री किशनाराम कानि. नं. 404 के द्वारा ही ब्यूरो के लेपटॉप से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर उसकी मूल एवं डब सी.डी. तैयार की गई तथा हाजरिन के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री राकेश बंजारा तथा उसके मित्र श्री लक्ष्मण सिंह ने उक्त वार्ता में अपनी–अपनी आवाज होना बताकर उक्त वार्ता में ही अन्य दो आवाजे आरोपीगणों श्री कुलदीप सिंह (संविदाकर्मी) व श्री दलपत सिंह (संविदाकर्मी) हाल तैनात श्रम विभाग कार्यालय जिला चितौडगढ की होना बताया तथा मूल सीडी पर परिवादी श्री राकेश बंजारा व उसके मित्र श्री लक्ष्मण सिंह तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में सिलचिट की गई। फर्द ट्रांसस्किप्ट पृथक से मुर्तिब की गई तथा समय 07.55 पी.एम. पर रिश्वत राशि लेन–देन संबंधित वार्ता जो कि आरोपी श्री कुलदीप सिंह तथा परिवादी श्री राकेश बंजारा तथा परिवादी के मित्र दशरथदान के मध्य हुई थी, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। परिवादी श्री राकेश

बंजारा एवं उसके मित्र श्री दशरथदान तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री किशनाराम कानि. नं. 404 द्वारा उपरोक्त वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा श्री किशनाराम कानि. नं. 404 द्वारा ही ब्यूरो के लेपटॉप से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर उसकी मूल एवं डब सी.डी. तैयार की गई तथा हाजरिन के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री राकेश बंजारा तथा उसके मित्र श्री दशरथदान ने उक्त वार्ता में अपनी–अपनी आवाजें होना बताकर उक्त वार्ता में ही अन्य एक आवाज आरोपी श्री कुलदीप सिंह (संविदाकर्मी) हाल तैनात श्रम विभाग कार्यालय जिला चितौडगढ की होना बताया तथा मूल सीडी पर परिवादी श्री राकेश बंजारा व उसके मित्र श्री दशरथदान तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में सिलचिट की गई तथा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की गई तथा समय 08.50 पी.एम. पर रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता जो कि आरोपी दलाल श्री नंदलाल छीपा तथा परिवादी श्री राकेश बंजारा तथा परिवादी के मित्र दशरथदान के मध्य हुई थी, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। परिवादी श्री राकेश बंजारा एवं उसके मित्र श्री दशरथदान तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री किशनाराम कानि. नं. 404 द्वारा उपरोक्त वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा श्री किशनाराम कानि. नं. 404 द्वारा ही ब्यूरो के लेपटॉप से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर उसकी मूल एवं डब सी.डी. तैयार की गई तथा हाजरिन के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री राकेश बंजारा तथा उसके मित्र श्री दशरथदान ने उक्त वार्ता में अपनी–अपनी आवाजें होना बताकर उक्त वार्ता में ही अन्य एक आवाज आरोपी दलाल नंदलाल छीपा की होना बताया तथा मूल सीडी पर परिवादी श्री राकेश बंजारा व उसके मित्र श्री दशरथदान तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में सिलचिट की गई तथा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की गई।

तत्पश्चात समय 09.30 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उक्त कार्यवाही में परिवादी एवं उसके मित्र लक्ष्मण सिंह तथा आरोपीगणों श्री कुलदीप सिंह (संविदाकर्मी) हाल तैनात श्रम विभाग कार्यालय जिला चितौडगढ व श्री दलपत सिंह (संविदाकर्मी) हाल तैनात श्रम विभाग कार्यालय जिला चितौडगढ के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं परिवादी श्री राकेश बंजारा एवं उसके मित्र श्री दशरथदान तथा आरोपी श्री कुलदीप सिंह के मध्य हुई लेन–देन संबंधित वार्ता तथा परिवादी श्री राकेश बंजारा व परिवादी के मित्र श्री दशरथदान व आरोपी दलाल श्री नंदलाल छीपा के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता, उक्त समस्त वार्ताओं का मेमोरी कार्ड उक्त कार्यवाही में वजह सबूत जप्त किया गया जिसकी फर्द जप्ती पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात आरोपी श्री नंदलाल पुत्र श्री चान्दमल, जाति–छीपा, उम्र–48 वर्ष, पेशा–होटल व्यवसायी, निवासी–सविता कॉलोनी स्नेह हॉस्पीटल के पीछे, निम्बाहेडा जिला चितौडगढ (दलाल) व आरोपी श्री दलपत सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह, जाति–राजपूत, उम्र–40 वर्ष, निवासी–बेणीपूरिया पुलिस थाना कपासन, जिला चितौडगढ हाल डी–49 बापू नगर, सेती पुलिस थाना सदर चितौडगढ हाल जिला प्रबन्धक श्रम विभाग चितौडगढ (संविदाकर्मी) तथा आरोपी श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह, जाति–राजपूत, उम्र–34 वर्ष, निवासी–सी–17, रमेश नगर, इश्काबाद चौराहा के पास निम्बाहेडा, पुलिस थाना निम्बाहेडा जिला चितौडगढ हाल जिला प्रबन्धक श्रम विभाग चितौडगढ (संविदाकर्मी) के विरूद्ध जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी भा. द.सं. का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से उक्त तीनों ही आरोपीगणों को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया तथा उसके पश्चात रिश्वत राशि लेन–देन के संबंध में आरोपी दलाल श्री नंदलाल छीपा तथा आरोपी श्री कुलदीप सिंह के मध्य मोबाईल पर आपस में हुई वार्ता जो कि आरोपी नंदलाल के मोबाईल फोन में कॉल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई थी जिस पर आरोपी श्री नंदलाल की उपस्थिति में उसी के द्वारा संचालित करा उक्त आरोपी नंदलाल के मोबाईल को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट कर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री किशनाराम कानि. नं. 404 द्वारा उपरोक्त वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा आरोपी श्री नंदलाल छीपा (दलाल), आरोपी श्री कुलदीप सिंह व श्री दलपत सिंह के मोबाईल फोन की ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता होने से वजह सबूत जरिये फर्द जप्त किये गये तथा परिवादी श्री राकेश बंजारा एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री संदीप तंबोली व श्री राजकुमार सालवी के समक्ष बाद सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त सील को जरिये फर्द नष्ट किया गया।

तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक अनूप सिंह मय स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो टीम के सदस्यगणों व वाहन बोलेरो नं. आर0जे0–30–यू0ए0–1291 के चालक तथा वाहन बोलेरो नं. आर0जे0–30–टी0ए0–2191 के चालक मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर, धौवण की शिशियों, बरामदशुदा रिश्वती राशि, मालखाना आर्टीकल्स मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री दलपत सिंह (संविदाकर्मी), श्री कुलदीप सिंह (संविदाकर्मी) तथा श्री नंदलाल छीपा (दलाल) के बाद फारिक ट्रेप कार्यवाही के परिवादी श्री राकेश बंजारा तथा उसके मित्र श्री लक्ष्मणसिंह व श्री

दशरथदान को रूखसत कर एसीबी कार्यालय. चितौडगढ से एसीबी राजसमन्द के लिए रवाना हो आज दिनांक 27.05.2022 को समय 07.00 ए.एम. पर एसीबी कार्यालय राजसमन्द उपस्थित आये तथा मालखाना आर्टीकल्स मालखाना प्रभारी श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. नं. 117 को मालखाना में सुरक्षित रखने हेतु सम्भलाये गये तथा स्वतंत्र गवाहान श्री संदीप तंबोली व श्री राजकुमार सालवी को तथा श्री किशन लाल गायरी व श्री रतन लाल गायरी को अपने–अपने वाहनों के साथ हिदायत कर रूखसत किये गये।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियो से पाया गया कि दिनांक 10.05.2022 को परिवादी श्री राकेश बंजारा पुत्र श्री श्यामलाल जाति बंजारा उम्र 20 वर्ष, निवासी गून्दारेल पुलिस थाना कनेरा तहसिल निम्बाहेडा जिला चितोडगढ के बताये अनुसार कार्यालय के कानि0 श्री किशनाराम नम्बर 404 को चितौडगढ भेजकर परिवादी का लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त कर नियमानुसार मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाई गई। तत्पश्चात दिनांक 26.05.2022 को ट्रेप का आयोजन किया जाकर आरोपी श्री कुलदीपसिंह जिला प्रबन्धक श्रम विभाग चितौडगढ (संविदाकर्मी) व श्री दलपतसिह जिला प्रबन्धक श्रम विभाग चितौडगढ (संविदाकर्मी) के द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री राकेश बंजारा के पिताजी जो श्रमिक श्रेणी के थे उनकी मृत्यु हो जाने पर सरकार कि ओर से उपलब्ध करवाई जाने वाली 2 लाख रूपये की सहायता राशि को समय पर दिलवाने व उसमें किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करने की एवज में श्रम विभाग चितौडगढ में कार्यरत श्री दलपतसिंह द्वारा इसी कम में दबाव बनाकर परिवादी श्री राकेश बंजारा से 10 हजार रूपये पूर्व में प्राप्त कर लिये थे। मांग सत्यापन के दौरान आरोपी कुलदीपसिंह द्वारा अपने घर पर AC (Air conditioner) लगाने की मांग की। परिवादी के मित्र श्री लक्ष्मणसिंह द्वारा AC की कीमत ज्यादा होने व इतनी राशि नहीं देने व फाईनली AC (Air conditioner) हेतु 25,000 रूपये देने की बात कहीं तो अन्य संदिग्ध आरोपी श्री दलपतसिंह द्वारा AC घर पर लगाते वक्त पांच–सात हजार रूपये उपर नीचे नहीं दे सकने की बात कहकर संदिग्ध कुलदीपसिंह द्वारा की गई मांग में अपना समर्थन दिया। आरोपी श्री कुलदीपसिंह द्वारा अन्त में 25,000 रूपये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति प्रकट की। मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी दलपत सिंह द्वारा पुर्व में बतौर रिश्वत लिये गये 10 हजार रूपये को काम नहीं होने पर परिवादी के मित्र के कहने पर आवेश में वापस लौटाने एवं परिवादी का काम नहीं होने देने की धमकी दी गई तथा मांग अनुसार दिनांक 26.05.2022 को परिवादी श्री राकेश बंजारा को रिश्वत राशि 20,000 रूपये आरोपी श्री कुलदीपसिंह व दलपतसिह को देने हेतु श्रम विभाग कार्यालय चितौडगढ भेजा गया परन्तु आरोपी कुलदीपसिंह द्वारा रिश्वत स्वयं न लेकर निम्बाहेडा स्थित नामदेव चाय की होटल के मालिक काका उर्फ नन्दलाल को देने की कहा। इस पर आरोपी श्री कुलदीपसिंह के कहे अनुसार आरोपी श्री नन्दलाल छीपा (दलाल) द्वारा परिवादी श्री राकेश बंजारा से रिश्वत राशि 20,000 रूपये प्राप्त कर अपनी चाय की होटल पर गेस–चूल्हे के पास सीमेण्ट की टंकी पर रखी बडी फर्शी जिस पर एक लौहे की ट्रे पडी हुई हैं जिसके नीचे रखे जहां से 20,000/– रूपये रिश्वत राशि बरामद होना आरोपीगण (1) श्री कुलदीपसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह जाति राजपूत उम्र 34 साल निवासी सी–17 रमेश नगर इश्काबाद चौराहा के पास निम्बाहेडा पुलिस थाना निम्बाहेडा जिला चितौडगढ हाल जिला प्रबन्धक श्रम विभाग चितौडगढ (संवीदाकर्मी) (2) श्री दलपतसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी बेणीपूरिया पुलिस थाना कपासन, जिला चितौडगढ हाल डी–49 बापू नगर सेती पुलिस थाना सदर चितौडगढ हाल जिला प्रबन्धक श्रम विभाग चितौडगढ (संवीदाकर्मी) (3) श्री नन्दलाल पुत्र श्री चान्दमल जाति छीपा उम्र 48 साल पैशा होटल व्यवसायी निवासी सविता कॉलोनी स्नेह हॉस्पीटल के पीछे निम्बाहेडा जिला चितौडगढ (दलाल) का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादस का अपराध करना प्रमाणित पाये जाने पर उपरोक्त आरोपीगण के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(अनूप सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजसमन्द

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनूप सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री कुलदीप सिंह, जिला प्रबन्धक, श्रम विभाग, चित्तौड़गढ़ (संविदाकर्मी) 2. श्री दलपत सिंह, जिला प्रबन्धक, श्रम विभाग, चित्तौड़गढ़ (संविदाकर्मी) एवं 3. श्री नंदलाल पुत्र श्री चांदमल निवासी सविता कॉलोनी, स्नेह हॉस्पीटल के पीछे, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (दलाल) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 209/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.5.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1852-56 दिनांक 27.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त सचिव मण्डल, श्रम विभाग, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद।

27.5.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।